मुन्तकिली प्रकरण सं0 66/2019 (RCMS 2019/00112) अनवानी 1. शमशेर सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 16 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. लाभ सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं 16, सादुलशहर श्रीगंगानगर 2. स्टेट ऑफ राजस्थान

19.06.2019

प्रार्थी शमशेर सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री फलभूर सिंह बराड़ ने उपस्थित होकर, वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर की टिप्पणी दिनांक 11.06.2019 पूर्व में प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रार्थी के अधिवक्ता की धारा 411 दण्ड प्रक्रिया संहिता के मुंतकिल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत एक प्रार्थना पत्र अनवानी लाभसिंह बनाम शमशेर सिंह, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के न्यायालय में लाभ सिंह अप्रार्थी द्वारा इस आश्य का पेश किया है कि अप्रार्थी शमशेर सिंह को प्रार्थी की सम्पत्ति प्लॉट नं. 180, 2 एल वार्ड नं 16, सादुलशहर पर कब्जा करने, सामान हड़पने के क्रम में, शांति भंग करने से रोके जाने एवं प्रार्थी को भारी जमानत पर पाबन्द किया जावे। उक्त प्रकरण में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर द्वारा बिना प्रक्रिया अपनाये, छोटी छोटी पेशिया देकर, बिना साक्ष्य के दिनांक 24.05.2019 बहस में रख दी और बिना सुने ही आदेश करने पर उतारू है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी लाभ सिंह व उपजिला मजिस्ट्रेट, सादुलशहर इकट्ठे बैठकर खाते पीते है तथा अप्रार्थी लाभ सिह लोगों से भारी मात्रा में रिश्वल लेकर उपजिला मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के दफ्तर के काम

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

करवाता है तथा प्रार्थी लाभ सिंह को सरेआम ऐलानिया कहा जा रहा है कि प्रकरण का निर्णय उसके पक्ष में होगा और प्रार्थी लाभ सिंह द्वारा इसी प्रकरण में धारा 146 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश कर रखा है जिसमें वह ऐलालिया रूप से कह रहा है कि प्लॉट को कुर्क करकवार कब्जा रिसिवर को दिलवा दूंगा, जिससे प्रार्थी को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए प्रकरण को मुंतकिल किया जावे।

मैने प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त तर्को पर मनन किया और उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर की टिप्पणी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता अनवानी लाभ सिंह बनाम शमशेर सिंह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर की टिप्पणी दिनांक 10.06.2019 से प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने पर कोई आपत्ति न होना जाहिर किया है। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ से उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर व अप्रार्थी लाभ सिंह की आपस में घनिष्ठ मित्रता प्रतीत होती है। इसलिए न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के समक्ष लम्बित अन्तर्गत धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता को अन्यत्र मुंतकिल किया जाना उचित होगा ताकि प्रार्थी का न्याय प्रणाली में विश्वास बना रहे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के प्रकरण अनवानी लाभ सिंह बनाम शमशेर सिंह अन्तर्गत धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में मुंतकिल किया जाता

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

है। जो विधिवत् रूप से दोनों पक्षों को सुनकर नियमानुसार निस्तारण करेगें और उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर को आदेश दिया जाता है कि उक्त अनवानी मूल प्रकरण को सुनवाई एवं निस्तारण हेतु एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को शीघ्र आवश्यक रूप से भिजवायें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर